झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

**विषयः–** **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित कार्यक्रम आयोजित करने/भाग लेने हेतु कुल 6,57,351/– (रू0 छः लाख संतावन हजार तीन सौ एकावन) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

बजट/लेखा/e gazette 6/4/2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित विभाग के पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 06/योजना दिनांक 26.05.2025 के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इन्स्टीच्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के तहत रोजगार मेले एवं अन्य कार्यक्रम किये जाने के निमित कुल रू0 6,57,351/– (रू0 छः लाख संतावन हजार तीन सौ एकावन) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा। विपत्र कोड – 43S220300003A7010321

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची, झारखण्ड होगें।

4. दिनांक 21.12.2018 से दिनांक 22.12.2018 तक झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB), साईस सिटी कैम्पस, सिरखा टोली, राँची तथा दिनांक 04.01.2019 सं 05.01.2019 तक खेलगांव में आयोजित रोजगार मेला पर एयरलाईन्स एवं रोडवेज के संबंध में राशि निकासी हेतु निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन करने की जिम्मेवारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की होगी।

5. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोंत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड़ 1288 है।

8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय। यह निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक– पत्रांक–338 दिनांक–28.03.2025 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का हेागा।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–
**(राहुल कुमार पुरवार)**
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15 /रॉची, दिनांक–
प्रतिलिपि– सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**सरकार के प्रधान सचिव।**

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15/36/बजट /रॉची, दिनांक– 23-03-2026
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.26

**सरकार के प्रधान सचिव।**

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वितीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 2.VPP-35/15/36/BUDGET दिनांक - 23-Mar-2026

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 43 220300003A7010321<br>2203 - तकनीकी शिक्षा<br>00 - तकनीकी शिक्षा<br>003 - प्रशिक्षण<br>A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग<br>01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टिट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग.<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>**State Scheme** | 114758 | DRNEDN047<br>RAJ SHEKHAR PRASAD<br>ASSTT. DIR.CUM DDO<br>T. EDN. DIR<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला | 657,351.00<br>रुपये छः लाख सत्तावन हजार तीन सौ इकावन |

State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288)

Centeral Scheme : NA

योग: रुपये छः लाख सत्तावन हजार तीन सौ इकावन 657,351.00

क्रमिक योग:

23.3.26

(RAHUL KUMAR PURWAR)

PRINCIPAL SECRETARY



Run Date: 23/3/2026